न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 17 / 2024

1. नसीमबानो पत्नी शबीरखां जाति काजी साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–अपीलान्ट

बनाम

1. अहमद अली पुत्र नजीरखां जाति काजी साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. खुशीमोहम्मद पुत्र नजीरखां जाति काजी साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. जाकिर पुत्र बाबूखां जाति काजी साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
4. नसीमबानो पुत्री बाबूखां जाति काजी साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
5. फारूक खान पुत्र बाबूखां जाति काजी साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
6. बाबुखां पुत्र नजीरखां जाति काजी साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
7. मदीना पत्नी बाबूखां जाति काजी साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
8. मान खान पुत्र नजीरखां जाति काजी साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)।
9. मोहम्मद नबाब पुत्र नजीरखां जाति काजी साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
10. शोकत अली पुत्र नजीरखां जाति काजी साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
11. सलमा बानो पुत्री बाबू खां जाति काजी साकिन दीपलाना तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:20 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, नोहर, तहसील नोहर

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांकः–16.08.2024

अपीलांट नसीमबानो पत्नी शबीरखां जाति काजी साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) नोहर दिनांक 15.02.2024 जिसमें चक 25 डी.पी.एन. की भूमि का विधि विरुद्ध खाता विभाजन किया गया को निरस्त करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है–

1. अपील कृत निर्णय विधि विरूद्व तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

2. रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 52/52 के प.न. 350/441 (73) के कि.न. 5/1 की 0.0250 गै.मु. रास्ता 5/2 की 0.2280 बारानी 6, 15 की 0.5060 बारानी प.न. 351/441 (72) के कि.न. 1/1 की 0.0250 गै. मु. रास्ता 1/2 की 0.2280 बारानी 2/1 की 0. 0260 गै. मु. रास्ता 2/2 की 0.2270 बारानी 3/1 की 0.0250 गै.मु. रास्ता 3/2 की 0.2280 बारानी 4/1 की 0.0250 गै. मु. रास्ता 4/2 की 0.2280 बारानी 5/1 की 0.0260 गै.मु. रास्ता 5/2 की 0.2270 बारानी 6 ता 13 की 2.0240 बारानी कुल 4.0480 हैक्टेयर भूमि जिसमें 0.1520 गै.मु. रास्ता 3.8960 बारानी जिसमें अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 का 1/12 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं. 2 का 1/12 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं. 3 का 1/20 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं. 4 का 1/20 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं. 5 का 1/20 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं. 6 का 1/12 हिस्सा रेस्पोडेन्ट न. 7 का 1/20 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं. 8 का 1/12 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं. 9 का 1/12 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं. 10 का 1/12 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं. 11 का 1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं। अपीलेन्ट एवं रेस्पोडेन्ट ता 11 ने आपसी सहमति से मुताबिक हक व हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त भूमि मे से बारानी व गै.मु. रास्ता में से मुताबिक हक व हिस्सा गै.मु. रास्ता प्राप्त होना के हिसाब से खाता विभाजन करवाना तय किया था लेकिन खाता विभाजन के कागजात तैयार करते समय अपीलान्ट को मुताबिक कब्जा काश्त भूमि नहीं दी गई एंव ना ही अपीलान्ट को गै. मु. रास्ता मे से मुताबिक हक व हिस्सा गै.मु. रास्ता दिया गया खाता विभाजन में हक से ज्यादा गै.मु. रास्ता की भूमि दे दी गई। मौजूदा बंटवारा नामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gordhan Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:20 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

की लिखत सहमति से हटकर तैयार करवाया गया है, जिससे अपीलान्ट के खातेदारी हकूक का हनन् हुआ है। इसलिए विधि विरूद्व बंटवारा बाबत् निर्णय निरस्त योग्य है।

3. कानूनी स्थिति के मुताबिक अपीलान्ट को विवादित भूमि में 1/4 हक व हिस्सा होने के कारण गै.मु. रास्ता की 0.1520 हैक्टेयर भूमि में 0.038 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होती है एवं इसी हक व हिस्सा के मुताबिक खाता विभाजन की सहमति हुई थी लेकिन सहमति से हटकर 0.102 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता की भूमि अपीलान्ट को बंटवारा में दे दी गई जबकि इन तथ्यों पर अपीलान्ट की कोई सहमति नहीं थी। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 11 ने साजिशाना तरीके से सहमति से हटकर गलत तथ्य बताकर औरत जात का नाजायज फायदा उठाने के लिए खाता विभाजन की पत्रावली में हस्ताक्षर करवा लिए, जिससे अपीलान्ट के साथ अन्याय व विश्वासघात हुआ है। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

4. मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को बंटवारा नामा की वास्तविक लिखत के बारे में नहीं बताया एवं सुनवाई का विधिवत रूप से कोई अवसर नहीं दिया ना ही कब्जा संबधी जांच की ना ही रास्ता बाबत् जांच की, यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

5. मातहत अदालत को मुताबिक हक व हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त एवं रास्ता की भूमि का बंटवारा करते हुए खाता विभाजन करना चाहिए था जबकि निर्णय में ऐसा नहीं किया गया है एवं निर्णय करने से पूर्व कब्जा संबधी जांच कर प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का विधिवत रूप से अवसर दिया जाना चाहिए था जबकि पत्रावली पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जो मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:20 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पोडेन्ट न. 1 ता 11 ने साजिशाना तरीके से सहमति से हटकर सही तथ्य नहीं बताकर अपीलान्ट औरत जात का नाजायज फायदा उठाने के लिए पत्रावली में हस्ताक्षर करवा लिए, जिससे अपीलान्ट के साथ अन्याय व विश्वासघात हुआ है। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

7. मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है, जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए निरस्त योग्य है।

8. मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

9. अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 1 ता 11 ने आपसी सहमति से मुताबिक हक व हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त एवं बारानी भूमि मे से बारानी व गै.मु. रास्ता में से मुताबिक हक व हिस्सा गै.मु. रास्ता प्राप्त होगा, के हिसाब से खाता विभाजन करवाना तय किया था लेकिन खाता विभाजन के कागजात तैयार करते समय अपीलान्ट को मुताबिक कब्जा काश्त भूमि नहीं दी गई एवं ना ही अपीलान्ट को गै. मु. रास्ता में से मुताबिक हक व हिस्सा गै. मु. रास्ता दिया गया खाता विभाजन में हक से ज्यादा गै. मु. रास्ता की भूमि दे दी गई। मौजूदा बंटवारानामा की लिखत सहमति से हटकर तैयार करवायी गयी है, जिस पर अपीलान्ट को गुमराह कर हस्ताक्षर करवा लिए एवं गै. मु. रास्ता जो कभी चालु नहीं था। हस्ताक्षर करते ही गै. मु. रास्ता को बिना किसी आदेश के रातो रात चालु कर दिया गया। जिसकी जानकारी होते ही निर्णय की पालना नहीं करने बाबत मातहत अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था, उसके बाद दिनांक 09.04.2024 को वकील से जानकारी चाही तो बताया कि विधि विरूद्व खाता विभाजन दिनांक 15.02.2024 के खिलाफ अपील करनी होगी तब निर्णय की अपील पेश करने बाबत् जानकारी हुई जानकारी होते ही दिनांक 09.4.2024 को नकल लेने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, जो बाद तैयारी दिनांक 23.04.2024 को प्राप्त हुई नकल प्राप्त होते ही आज तुरन्त अपील पेश की जा रही है, जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

10. अपील अदालत के क्षेत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फिस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 15.02.2024 रोही मौजा चक 25 डी. [illegible] तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 52/52 की कुल [illegible] हेक्टेयर भूमि की हद तक निरस्त करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:20 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 तामिल होनें के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–12 तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता

अतिरिक्त जिला कलक्टर

अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 1 ता 11 ने आपसी सहमति से मुताबिक हक व हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त एवं बारानी भूमि मे से बारानी व गै.मु. रास्ता में से मुताबिक हक व हिस्सा गै.गु. रास्ता प्राप्त होगा, के हिसाब से खाता विभाजन करवाना तय किया था लेकिन खाता विभाजन के कागजात तैयार करते समय अपीलान्ट को मुताबिक कब्जा काश्त भूमि नहीं दी गई एंव ना ही अपीलान्ट को गै. मु. रास्ता में से मुताबिक हक व हिस्सा गै.मु. रास्ता दिया गया खाता विभाजन में हक से ज्यादा गै.मु. रास्ता की भूमि दे दी गई। मौजूदा बंटवारा नामा की लिखित सहमति से हटकर तैयार करवाया गया है, जिससे अपीलान्ट के खातेदारी हकूक का हनन् होता है। इसलिए विधि विरूद्व बंटवारा बाबत् निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा मूल पत्रावली का अध्ययन किया गया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या– 1 ता 11 के लिखित सहमती पत्र/बंटवारानामा के आधार पर चक 23 एन.टी.आर. के खाता संख्या 71/68, चक 25 डी.पी.एन. के खाता संख्या 92/81, चक 25 डी.पी.एन. के खाता संख्या 52/52 का दिनांक 15.02.2024 को खाता विभाजन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिखित सहमती पत्र/बंटवारानामा के आधार पर खाता विभाजन करनें में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा दिनांक 15.02.2024 को पारित निर्णय विधि सम्मत एंव न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावें पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16·8·24 को सरेइजलास सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:20 IST
Reason: SelfAttested